जनपद बिजनौर **दिनांक 16.11.2024**

यातायात निदेशालय द्वारा चलाये जा रहे यातायात माह के दृष्टिगत यातायात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण।

यातायात निदेशालय द्वारा चलाये जा रहे यातायात माह नवम्बर-2024 के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के निर्देशानुसार जनपद में यातायात पुलिस द्वारा वाहनों की चैंकिग की जा रही हैं जिसके क्रम में यातायात के नियमों का पालन न करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यावाही की जा रही है तथा वाहन चालको को यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में जागरुक किया जा रहा है।

आज दिनांक 16.11.2024 को यातायात पुलिस जनपद बिजनौर द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान ओवर लोड/ गन्ना ढुलाई करने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी, जिसमें 10 ट्रकों एवं 05 ट्रैक्टरों का यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर चालान किये गये तथा 1,50,000/- रू जुर्माना किया गया।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नूरपुर **दिनांक 16.11.2024**

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 447/2024 धारा 305(क)/317(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 15.11.2024 को वादी सन्दीप कुमार पुत्र विनेशपाल सिंह निवासी ग्राम उमरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 10/11.11.2024 की रात्रि में गगन कुमार पुत्र कमल सिंह निवासी उमरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के घर से बिजली का केबल चोरी कर लिया गया तथा वादी व उसके साथियो द्वारा अभियुक्त गगन कुमार उपरोक्त को दिनांक 15.11.2024 को उमरी बस अडडे से एक प्लास्टिक के कट्टे में वादी के घर से चोरी किए गए केबल सहित पकड़ लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 447/2024 धारा 305(क)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त गगन कुमार पुत्र कमल सिंह निवासी उमरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को एक प्लास्टिक के कट्टे में चोरी किए गए केबल सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गगन कुमार पुत्र कमल सिंह निवासी उमरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगीः-

एक प्लास्टिक के कट्टे में चोरी किया गया केबल

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर दिनांक 16.11.2024

थाना कोतवाली शहर द्वारा मु0अ0सं0 1071/2024 धारा 333/352/109(1)/117(2) /351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.11.2024 को वादी इरशाद अहमद पुत्र मौ0 मुस्तफा निवासी निवासी ग्राम मुकीमपुर धर्मसी उर्फ खेड़ा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. फरीद अहमद पुत्र मौ0 शरीफ कालिया 2. मौ0 शरीफ कालिया पुत्र नथ्थू निवासीगण ग्राम मुकीमपुर धर्मसी उर्फ खेड़ा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर हाल निवासी मौहल्ला चाहशीरी बी-24 मनियारो वाली गली थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी के साथ गाली गलौच करते हुये जान से मारने की नियत से सिर पर वार किया जिससे वादी को सिर में चोट आयी है तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1071/2024 धारा 333/352/109/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के अभियोग में धारा 109 बीएनएस का विलोप कर धारा 109(1)/117(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाहीः-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मौ0 शरीफ कालिया पुत्र नथ्थू निवासी मौहल्ला चाहशीरी बी-24 मनियारो वाली गली थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मौ0 शरीफ कालिया पुत्र नथ्थू निवासी मौहल्ला चाहशीरी बी-24 मनियारो वाली गली थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 प्रशान्त सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.का0 2498 विश्वेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना नगीना देहात दिनॉक 16.11.2024

थाना नगीना देहात पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 245/24 धारा 109/351(2)/352 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 14.11.2024 को वादी श्री जगदीश सिंह पुत्र स्व0 विक्रम सिंह निवासी ग्राम हरगनपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्त गोविन्दा पुत्र सुरेन्द्र सिंह ने वादी के चचेरे भाई हिरेन्द्र पुत्र स्व0 बुद्ध सिंह के साथ गाली गलौच की तथा मना करने पर जान से मारने की नियत से डण्डे से सिर पर वार किया, जिससे वह घायल हो गया। तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 245/24 धारा 109/351(2)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 16.11.2024 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 245/24 धारा 109/351(2)/352 बीएनएस में वांछित अभियुक्त गोविन्दा पुत्र सुरेन्द्र सिंह कश्यप निवासी ग्राम हरगनपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त एक डण्डा सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. गोविन्दा पुत्र सुरेन्द्र सिंह कश्यप निवासी ग्राम हरगनपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

2.हे0का0 737 सुभाशचन्द्र थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

3.का0 500 अमित कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर **दिनांक – 16.11.2024**

थाना मंडावर पुलिस ने मु0अ0सं0 296/24 धारा 64/69/78/351(2)/351(3)/333 बीएनएस व 3/4/7/8 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 15.11.2024 को वादिया ने थाना मंडावर पर तहरीर दी कि अभियुक्त रहबर पुत्र इश्तियाक निवासी ग्राम ईनामपुरा थाना मंडावर जनपद बिजनौर ने वादिया की पुत्री को शादी का झांसा देकर घर में घुसकर वादिया की पुत्री के साथ गलत काम किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 296/24 धारा 64/69/78/351(2)/351(3)/333 बीएनएस व धारा 3/4/7/8 पॉक्सो अधिनियम बनाम रहबर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 16.11.2024 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रहबर पुत्र इश्तियाक निवासी ग्राम ईनामपुरा थाना मंडावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रहबर पुत्र इश्तियाक निवासी ग्राम ईनामपुरा थाना मंडावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मृदुल कुमार सिंह थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
2. कां0 2334 भूषण थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
3. कां0 1437 दीपक कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहटौर **दिनांक – 16.11.2024**

थाना नहटौर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को चोरी किये गये सूटों के 02 बण्डल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 15.11.2024 को वादी श्री मौ0 आमिर पुत्र निसार अहमद निवासी कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि दिनांक 15.11.2024 को दिन में समय करीब 02.00 बजे कस्बा नहटौर में कपडे का व्यापार कर रहा था। इसी दौरान अभियुक्तगण 1.नौशाद पुत्र तन्जीम 2.नासिर पुत्र सफीक निवासीगण मौ0 अफगानान कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने वादी कि दुकान से 04-04 लेडीज सूटों के दो बंडल चोरी कर भागने लगे, जिन्हे वादी ने बाजार में मौजूद लोगों की मदद से मौके पर पकड लिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 386/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस बनाम नौशाद आदि कुल 02 नफर पंजीकृत किया गया।

थाना नहटौर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.नौशाद पुत्र तन्जीम व 2.नासिर पुत्र शफीक उपरोक्त को चोरी किये गये 04-04 लेडीज सूटों के 02 बंडल सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। पूछताछ के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(4) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.नौशाद पुत्र तन्जीम निवासी मौ0 अफगानान कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2.नासिर पुत्र सफीक निवासी मौ0 अफगानान कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

04-04 सूटों के दो बण्डल (भिन्न भिन्न रंग के)

अभियुक्त नौशाद का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 210/2014 धारा 380/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 261/2015 धारा 398/411 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 262/2015 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नहटौर जनपद बिजनौर
4.मु0अ0सं0 419/2015 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नहटौर जनपद बिजनौर
5.मु0अ0सं0 131/2016 धारा 398/401 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर

6.मु0अ0सं0 132/2016 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नहटौर जनपद बिजनौर

7.मु0अ0सं0 444/2017 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नहटौर जनपद बिजनौर

8.मु0अ0सं0 278/2018 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नहटौर जनपद बिजनौर

9.मु0अ0सं0 290/2019 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नहटौर जनपद बिजनौर

10.मु0अ0सं0 188/2024 धारा 380/411 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर

11.मु0अ0सं0 386/24 धारा 303(2)/317(2)(4) बीएनएस थाना नहटौर जनपद बिजनौर

अभियुक्त नासिर का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 386/24 धारा 303(2)/317(2)(4) बीएनएस थाना नहटौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना चांदपुर दिनॉक 16.11.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 625/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तगण को चोरी किये गये 15,000 रूपये सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 15.11.2024 को वादी मौ0 मुस्तकीम पुत्र शमीम अहमद निवासी मौ0 पतियापाडा कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.नसीम अहमद पुत्र नवाब अहमद 2.फरीदा पत्नी नसीम अहमद निवासीगण मौ0 काजीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने वादी की जेब से 15,000 रूपये चोरी कर लिये तथा शक होने पर वादी ने अपने पिता की मदद से दोनो अभियुक्तों को पकड लिया। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 625/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दोनों अभियुक्तों को स्थानीय पुलिस द्वारा नियमानुसार कब्जे में लिया गया तथा आवश्यक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही–

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 625/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्तगण 1.नसीम अहमद पुत्र नवाब अहमद 2.फरीदा पत्नी नसीम अहमद निवासीगण मौ0 काजीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को चोरी किये गये 15,000 रूपये सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.नसीम अहमद पुत्र नवाब अहमद निवासी मौ0 काजीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.फरीदा पत्नी नसीम अहमद निवासी मौ0 काजीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण–

1– चोरी किये गये 15,000 रूपये।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 16.11.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 997/2024 धारा 109(1)/352 बीएनएस व 3(1)द/3(1)ध/3(2)V एससी/एसटी में वांछित 03 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 20.10.2024 को वादी श्री ब्रह्मपाल पुत्र सुक्खे सिंह निवासी ग्राम जौधूवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.बिट्टू पुत्र बलवीर 2.सोनू पुत्र किशन 3.मवाशी पुत्र गोकल निवासीगण ग्राम जौधूवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने वादी के पुत्र बोबी व भाई महेन्द्र के साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से मारपीट की गयी तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 997/2024 धारा 109(1) / 352 बीएनएस व धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V एससी / एसटी एक्ट बनाम बिट्टू आदि कुल 03 नफर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 16.11.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.विजय पुत्र बलवीर 2.सोनू पुत्र रामकिशन 3.मवासी पुत्र गोकल निवासीगण ग्राम औरंगपुर हाजी उर्फ जौधूवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.विजय पुत्र बलवीर निवासी ग्राम औरंगपुर हाजी उर्फ जौधूवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2.सोनू पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम औरंगपुर हाजी उर्फ जौधूवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3.मवासी पुत्र गोकल निवासी ग्राम औरंगपुर हाजी उर्फ जौधूवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2.हे0कां0 117 मनोज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3.कां0 359 केशव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4.कां0 2617 मोहित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
5.कां0 2479 निखिल कुमार धावल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना दिनांक – 16.11.2024

थाना नगीना पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा थाना नगीना क्षेत्रान्तर्गत हुई हत्या की घटना का अनावरण, 02 अभियुक्तगण घटना में प्रयुक्त गाडी सहित गिरफ्तार।।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.11.2024 को थाना नगीना क्षेत्रान्तर्गत फतेहपुर-कोटरा मार्ग पर दौलत वाली पुलिया के निकट एक व्यक्ति का करीब 80 % जला हुआ शव बरामद हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस एवं फील्ड यूनिट टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल निरीक्षण एवं साक्ष्य संकलित किये गये। मृतक की पहचान ऋषिपाल (उम्र करीब 50 वर्ष) पुत्र रघुनाथ निवासी ग्राम पीपलसाना थाना धामपुर जनपद बिजनौर के रुप में हुई। दिनांक 12.11.2024 को समय करीब 14.30 बजे मृतक ऋषिपाल घर से गया था। इस सम्बंध में मृतक के पुत्र अर्पित द्वारा अपने मौसेरे भाई विवेक पुत्र ब्रह्मपाल निवासी मौ0 आजाद कॉलोनी कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध थाना नगीना पर मु0अ0सं0 326/2024 धारा 103(1) / 238 बीएनएस पंजीकृत कराया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त घटना में 02 अन्य अभियुक्तगण 1.अंकुर पुत्र कृष्णपाल सिंह व 2.विपिन पुत्र रामचरन निवासीगण मौ0 आजाद नगर कॉलोनी कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर के नाम भी प्रकाश में आये।

कार्यवाही –

थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित / प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण 1.विवेक पुत्र ब्रह्मपाल निवासी मौ0 आजाद कॉलोनी कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर व 2.अंकुर पुत्र कृष्णपाल सिंह निवासी मौ0 आजाद नगर कॉलोनी कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बुलेरो गाडी रजि0सं0 UK18TA1697, मृतक के मोबाइल फोन का कवर व मृतक के शव को जलाने में प्रयुक्त पुआल के अवशेष गाडी से बरामद किये गये। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ पर अभियुक्त विवेक ने बताया कि मेरी बहन की शादी के बाद मेरी मौसेरी बहन भी मेरी बहन की ससुराल मे जाकर काफी दिनों तक रही थी और उसी दौरान करीब 06 साल पहले मेरी मौसेरी बहन के सम्बन्ध मेरे बहनोई के साथ हो गये थे। इसकी जानकारी मेरी बहन व पूरी रिश्तेदारियों मे हो गयी थी, जिसकी शिकायत मैने अपने मौसा ऋषिपाल सिंह से की थी, लेकिन मेरे मौसा ने उल्टे अपनी बेटी का ही पक्ष लिया और मेरी बहन को ही गलत ठहराने लगे तथा अपनी बेटी को कुछ नही कहा। मजबूरी मे मेरी बहन अपना घर छोडकर कस्बा धामपुर मे किराये के मकान मे रह रही है। इसके अतिरिक्त करीब 07 साल पहले मेरे मौसा ऋषिपाल सिंह ने अपनी जमीन बेची थी और उस जमीन के सात लाख रुपये मुझे व मेरे पिता को दिये थे। वह रुपये मेरे मौसा ने ब्याज पर दे दिये और जब पूरे रुपये वापस मिल गये तो वे रुपये हमने अपने काम मे लगा लिये। लेकिन अब मेरे मौसा कहने लगे कि मुझे लडकी की शादी करनी है, मेरे रुपये दे दो तो मेरे मन मे बेईमानी आ गयी और रुपये नही दिये तथा ऋषिपाल को टालते रहे, लेकिन ऋषिपाल लगातार मुझसे रुपये मांगता रहा। इस दौरान कई बार पैसों को लेकर मेरी अपने मौसा ऋषिपाल से कहासुनी भी हुई। ऋषिपाल आये दिन मुझसे फोन करके रुपये मांगता था, जिससे वह काफी परेशान हो गया था। इन्ही दोनो मामलों को लेकर मुझे अपने मौसा ऋषिपाल से नफरत होने लगी थी। इसलिये मैने अपने ममेरे भाई अंकुर व अपने घर के पास में ही रहने वाले दोस्त विपिन के साथ मिलकर ऋषिपाल की हत्या करने की योजना बनायी।

दिनांक 12.11.2024 को समय करीब 10 बजे दिन मे मेरे पास मेरे मौसा ऋषिपाल का फोन आया उन्होने फिर से अपने रुपये मांगे, जिससे मुझे गुस्सा आ गया। मै अपने दोस्त विपिन और अपने ममेरे भाई अंकुर को साथ लेकर अपनी बुलेरो कार नम्बर UK18TA1697 से चल दिये और नगीना से शराब खरीदी तथा शराब पी। मैने विपिन को पैसे का लालच दिया, जिससे वह मेरा साथ देने के लिये तैयार हो गया। मेरा ममेरा भाई अंकुर इसके लिये पहले से ही तैयार था। मैने और अंकुर ने अपने अपने फोन जानबूझकर घर पर ही छोड दिये। हम तीनों ग्राम मझैडा मे शराब के ठेके पर पहुंचे और विपिन ने शराब के ठेके के सेल्समेन से एक जरुरी फोन करना बताकर उसका फोन ले लिया। मैने सेल्समेन के फोन से समय करीब पौने तीन बजे अपने मौसा ऋषिपाल को फोन पर बताया कि कुछ रुपयों का इन्तजाम तो हो गया है। इस बात पर ऋषिपाल हबीबवाला अड्डे पर आ गया और हमने ऋषिपाल को गाडी मे बैठा लिया तथा गाडी मे चलते-चलते शराब पीते रहे। रास्ते मे विपिन ने ऋषिपाल का फोन मांगा और कहा कि मेरा फोन खराब है मैं इसमे अपना सिम डालकर किसी से बात करूंगा। विपिन ने उस फोन का सिम निकाल दिया। हम तीनो घटना को अंजाम देने के लिये समय व्यतीत करने के लिये गाडी में घूमते रहे। मेरे मौसा को बहुत ज्यादा नशा हो गया था और वह एकदम चित हो गये थे तो रास्ते मे गाडी रोककर विपिन और अंकुर पीछे की शीट पर ऋषिपाल के दोनों ओर बैठ गये और वह गाडी चला रहा था। अंकुर और विपिन दोनों ने मिलकर गाडी की पीछे की शीट पर बैठकर ऋषिपाल का अंगोछे से कसकर गला घोंट दिया तथा लाश को ठिकाने लगाने के लिये कस्बा कोटरा से फतेहपुर रोड की ओर चल दिये तो रास्ते मे गांव तिगरी मनकावाला के बाहर रखी धान की पुआल के दो पूले उठाकर गाडी मे रख लिये। वह दोनों पूले ऋषिपाल के मुंह व पेट पर लपेट दिये और अंगोछे से बांध दिये तथा रास्ते में पेट्रोल पम्प से बोतल में एक लीटर पेट्रोल ले लिया तथा फतेहपुर वाली रोड पर लाश को पुलिया के पास सडक के किनारे झाडियों मे गिरा दिया। विपिन के बैग मे एक कम्बल रखा था उस कम्बल को भी लाश के ऊपर डाल दिया और उसके ऊपर पेट्रोल छिडककर लाश की पहचान छिपाने के उद्देश्य से आग लगा दी। उसी दिन मेरे एक रिश्तेदार की शादी धामपुर में एक बैंकट हॉल मे थी और मेरे घर वाले भी उसी शादी मे शामिल हुए थे। हम तीनों शादी मे शामिल होने के लिये गाडी से धामपुर चले गये तथा ऋषिपाल का फोन रास्ते में गांगन नदी मे फेंक दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.विवेक पुत्र ब्रह्मपाल निवासी मौ0 आजाद कॉलोनी कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर

2.अंकुर पुत्र कृष्णपाल सिंह निवासी मौ0 आजाद नगर कॉलोनी कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त बुलेरो गाडी रजि0सं0 UK18TA1697

मृतक के मोबाइल फोन का कवर

मृतक के शव को जलाने में प्रयुक्त पुआल के अवशेष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1.श्री हरिओम सिंह चौहान थानाध्यक्ष नगीना जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह उज्जवल थाना नगीना जनपद बिजनौर

3.उ0नि0 श्री सरवेज खां थाना नगीना जनपद बिजनौर

4.हे0कां0 मोनू सर्विलांस सैल जनपद बिजनौर

5.हे0कां0 638 अंकित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर

6.कां0 710 नेपाल थाना नगीना जनपद बिजनौर

8.कां0 1580 ललित थाना नगीना जनपद बिजनौर

9.कां0 2499 रिंकू थाना नगीना जनपद बिजनौर